(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग–**III**, खंड–4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 158 **नई दिल्ली,** 25 अगस्त, 2009

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 54 के अधीन पोत परिवहन मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेश का अनुपालन करते हुए, और उक्त अधिनियम की धारा 48 और 49 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार चीनी और दालों के भंडारण के लिए विलंबशुल्क प्रभारों/लाइसेंस शुल्क में संशोधन करने के लिए सभी महापत्तन न्यासों और वहाँ पर प्रचालन करने वाले निजी टर्मिनलों के दरमान संशोधित करता है।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/29/2009–विविध

आदेश

(अगस्त, 2009 के 25 वें दिन पारित)

पत्तन क्षेत्र में चीनी और दालों के मामले में प्रभारित विलंबशुल्क प्रभारों/लाइसेंस शुल्क में संशोधन करने के लिए पोत परिवहन मंत्रालय में भारत सरकार ने अपने आदेश सं. पीटी–11033/46/2009–पीटी दिनांक 21 अगस्त, 2009 द्वारा महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 54 के अधीन इस प्राधिकरण को निदेश जारी किया है।

2. सरकार का मत है कि चीनी और दालों की बढ़ती कीमतों के मद्देनज़र आयात के बाद लाइसेंसशुदा क्षेत्र सहित पत्तन क्षेत्र में इन वस्तुओं के भंडारण को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। अतः सरकार ने जनहित में चीनी और दालों के मामले में मौजूदा विलंबशुल्क प्रभारों/लाइसेंस शुल्क में संशोधन करने के लिए एक आदेश जारी किया है और एकसमान संशोधित निःशुल्क अवधि और लागू विलंबशुल्क/लाइसेंस शुल्क भी निर्धारित किए हैं।

3. तदनुसार, यह प्राधिकरण निम्नलिखित अनुसूची में यथा दिए गए चीनी और दालों के मामले में मौजूदा भंडारण प्रभारों/लाइसेंस शुल्क में संशोधन करता है:

अनुसूची

क्र.सं.	विवरण		प्रभार
1.	चीनी और दालें (आयात)		
	(i).	निःशुल्क अवधि	3 दिन
	(ii).	4 – 10 दिन	उस पत्तन में मौजूदा दरमान के अनुसार निःशुल्क अवधि के बाद लागू दर का दोगुना।
	(iii).	11 – 20 दिन	उस पत्तन में मौजूदा दरमान के अनुसार निःशुल्क अवधि के बाद लागू दर का तीन गुना।
	(iv).	21-30 दिन	उस पत्तन में मौजूदा दरमान के अनुसार निःशुल्क अवधि के बाद लागू दर का चार गुना।
	(v).	30 दिनों के बाद पत्तन क्षेत्र में कार्गो को रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।	

4. सभी महापत्तन न्यासों और वहाँ पर निजी टर्मिनलों को उनके दरमान में तदनुसार संशोधन करने का निदेश दिया जाता है।

5. चीनी और दालों के मामले में संशोधित विलंबशुल्क प्रभार/लाइसेंस शुल्क भारत के राजपत्र में इस आदेश की अधिसूचना के तत्काल पश्चात प्रभावी होंगे और 31 मार्च 2010 तक अथवा अगले आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष